न्यायालय एम0ए0सी0पी0 / जिला जज अल्मोड़ा।
(एम0ए0सी0टी0 वाद सं0–05 सन् 2020)
प्रकीर्ण दीवानी वाद सं0–44 सन् 2022
श्रीमती शान्ति देवी
बनाम
कमलेश सिंह बिष्ट व अन्य

10.08.2022

पुकारा गया। आवेदिका श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व0 राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम घटयूड़ी, पो0 चोनडगरी, भनोली, जिला अल्मोड़ा अपने विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद फुलारा सहित उपस्थित हैं।

प्रार्थना–पत्र 3ग1/1 पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया।

आवेदिका द्वारा प्रार्थना–पत्र 3ग1/1 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद सं0–5 सन् 2020 श्रीमती शान्ति देवी बनाम कमलेश सिंह बिष्ट व अन्य में अधिकरण द्वारा दिनांक 23.05.2022 को निर्णय पारित करते हुए याची की याचिका स्वीकार की गयी तथा विपक्षी बीमा कम्पनी को 13,59,887/–रू0 प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश पारित किया गया था। विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा उक्त प्रतिकर की धनराशि न्यायालय में जमा की जा चुकी है। इस मामले में विपक्षी द्वारा कोई अपील नहीं की गयी है। अतः उक्त एफ0डी0आर0 की धनराशि प्रार्थिनी के पक्ष में अवमुक्त किये जाने की याचना की गई।

प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवेदिका शान्ति देवी के आधार कार्ड की छयाप्रति कागज सं0–5ग1 दाखिल की गयी है तथा स्वयं का आधार कार्ड मूल रूप में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्या के अवलोकन से दर्शित होता है कि मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद सं0–5 सन् 2020 श्रीमती शान्ति देवी बनाम कमलेश सिंह व अन्य में अधिकरण द्वारा दिनांक 23.05.2022 को निर्णय पारित करते हुए याची की याचिका स्वीकार की गयी तथा विपक्षी बीमा कम्पनी

को 13,59,887 / –रू0 याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण सहित प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश पारित किया गया था। मोटर दुर्घटना वाद सं0–05 / 2022 में एफ0डी0आर0 सं0–096200PU00058924 मुब0 15,38,744 / – दो तालक में भुगतान हेतु सुरक्षित जमा है। मामले में कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है।

कार्यालय आख्या के अनुरूप मामले में बनाई गयी एफ0डी0आर0 त्रुटिवश मोटर दुर्घटना वाद सं0–05 / 2020 के स्थान पर मोटर दुर्घटना वाद सं0–05 / 2022 में जमा किया गया है, जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है।

चूंकि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा मोटर दुर्घटना वाद सं0–05 / 2020 श्रीमती शान्ति देवी बनाम कमलेश सिंह बिष्ट व अन्य में अधिकरण के आदेश दिनांक 23.05.2022 के अनुपालन में प्रतिकर की धनराशि जमा की गयी है। जिसे त्रुटिवश मोटर दुर्घटना वाद सं0–05 / 2022 अंकित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उसे मोटर दुर्घटना वाद सं0–05 / 2022 के स्थान पर मोटर दुर्घटना वाद सं0–05 / 2020 पढ़ा जाये। अतः उक्त एफ0डी0आर0 एफ0डी0आर0 सं0–096200PU00058924 मुब0 15,38,744 / –की धनराशि आवेदिका श्रीमती शान्ति देवी के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है। तद्नुसार प्रार्थना–पत्र 3ग1 / 1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र 3ग1 / 1 स्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरूप मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद सं0–5 सन् 2022 श्रीमती शान्ति देवी बनाम कमलेश सिंह बिष्ट व अन्य में जमा एफ0डी0आर0 सं0–096200PU00058924 मुब0 15,38,744 / – की धनराशि उचित सत्यापन के बाद आवेदिका श्रीमती शान्ति देवी के भारतीय स्टेट बैक शाखा भनोली के खाता सं0–4441848096 में जमा कर अवमुक्त की जाये।

संबंधित बैंक को इस संदर्भ में निर्देश जारी किया जाये कि वह एफ0डी0आर0 की उक्त धनराशि को आवेदिका के बैंक खातों में जमा कर उन्हें अदा करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका को कोई भुगतान नगद नहीं किया जाएगा।

तदनुसार प्रार्थना–पत्र निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(मलिक मज़हर सुलतान)
एम0ए0सी0पी0 / जिला जज,
अल्मोड़ा।